विषय :—निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केसों का शीघ्र निपटान ।

क्या वित्तायुक्त राजस्व एवं सभी सचिव हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय पर सरकार अनुदेश के क्रमांक 33/16/78-1 जी0 एस0 1, दिनांक 20-12-1978 तथा अशा: क्रमांक 33/14/79-1 जी0 एस0 1, दिनांक 26-4-1979 (प्रत्येक की प्रति संलग्न है) की ओर ध्यान देने को कृपा करेगें ?

2. सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी प्रशासकीय सचिव व्यक्तिगत रूप से यह सुनिचित करें कि निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध केसों में की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही करने में देरी न हो ।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में (i) वित्तायुक्त राज्य, हरियाणा, (ii) हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव तथा उपर्युक्त की एक प्रति प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री को सुचनार्थ भेजी जाती है ।